रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072020-220604
CG-DL-E-20072020-220604

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2020/ आषाढ़ 29, 1942
No. 352] NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2020/ASADHA 29, 1942

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 456(अ).—केंद्रीय सरकार, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 11) की धारा 14 की उपधारा (8) और उपधारा (9) के साथ पठित धारा 22 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर कृषक करार (विवाद समाधान) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अपीलार्थी" से अभिप्रेत ऐसा पक्षकार है जो अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करता है।

(ख) "अपील प्राधिकारी" से नियम 9 में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी अभिप्रेत है ।

(ग) "आवेदक" से अभिप्रेत एक ऐसे व्यक्ति से है जो कृषि करार से उत्पन्न विवाद के निपटारे के लिए संबद्ध उपखंड प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करता है।

(घ) "फार्म" से अभिप्रेत है जो इन नियमों से संलग्न है।

(ङ) "विरोधी पक्षकार" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरूद्ध आवेदक ने अनुतोष का दावा किया हो।

(च) "अध्यादेश" से कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 11) अभिप्रेत है।

(छ) "प्रतिवादी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरूद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल की गई हो।

(ज) "उपखंड प्राधिकारी" से नियम-3 में निर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं किंतु अध्यादेश में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अध्यादेश में उनके हैं ।

(3) "उपखंड प्राधिकारी" की अधिकारिता - यदि इस करार के अधीन कृषि उत्पादों से संबंधित कोई विवाद उठता है तब ऐसे उत्पाद के उत्पादन वाली भूमि या जिस भूमि में उत्पादन किया जाना हो वह भूमि जिस उपखंड मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में आता है, वह ऐसे विवादों पर निर्णय देने के लिए उपखंड प्राधिकारी होगा।

परंतु यह कि जहां पर ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए एक से अधिक उपखंड मजिस्ट्रेट हों तब ऐसी स्थिति में ऐसे उत्पाद के उत्पादन वाली भूमि या जिस भूमि में उत्पादन किया जाना हो उस भूमि का अधिकांश भाग जिस उपखंड मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में आता हो वह ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए उपखंड प्राधिकारी होगा।

4. उपखंड प्राधिकारी को आवेदन – (1) कृषि करार से जुड़ा कोई भी पक्षकार, यदि उसके अधीन कोई भी विवाद होता है तो वह प्रारुप -1 में आवेदन करके उसके साथ शपथ पत्र, कृषि करार की प्रति, सुलह प्रक्रिया के ज्ञापन की प्रति, यदि कोई हो, उसमें किए गए दावे के समर्थन में दस्तावेज की प्रति, विपक्षी पक्षकार संबंधी दस्तावेज के साथ दिए गए ऐसे आवेदन के प्रमाण की प्रति संलग्न कर उपखंड प्राधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल करेगा।

(2) आवेदक आवेदन के साथ विपक्षी पक्षकार संबंधी दस्तावेजों की एक प्रति व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या अन्य किसी भी माध्यम से विरोधी पक्षकार को भेज सकता है तथा यदि किसान करार में दिए गए पते पर विपक्षी पक्षकार को यह भेजा जाता है तो यह समझा जाएगा कि इसे विधिवत तरीके से विरोधी पक्षकार को भेजा गया है।

परंतु यह कि ऐसे मामलों में जहां इसे रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में भेजने के तिथि से 7 दिन समाप्त होने पर यह समझा जाएगा कि आवेदन विरोधी पक्षकार को तामिल कर दिया गया है।

5. सुलह बोर्ड- (1) नियम 4 उप–नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, यदि उपखंड मजिस्ट्रेट यह पाता है कि कृषि करार में सुलह प्रक्रिया की कोई व्यवस्था नही है तो वह आवेदन प्राप्ति के 14 दिन के भीतर एक "सुलह बोर्ड" नियुक्त करेगा जिसकी अध्यक्षता प्राधिकारी के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्यरत अधिकारी करेगा।

(2) उपखंड प्राधिकारी, विवाद की प्रकृति, गंभीरता और अंतर्गस्त मौद्रिक मूल्य पर विचार करके तुरंत विवाद में सम्मिलित पक्षकारों की सिफारिश के अनुसार सुलह बोर्ड के सदस्यों की बराबर संख्या में इस प्रकार नियुक्ति करेगा कि ऐसे पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त सदस्यों की कुल संख्या या तो दो या चार होगी।

परंतु यदि कोई पक्षकार सात दिनों के भीतर सदस्यों की सिफारिश नहीं कर पाता तो उपखंड प्राधिकारी ऐसे पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे सदस्यों की नियुक्ति कर सकेगा जैसे वह उचित समझे।

6. सुलह बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - सुलह के लिए सुलह बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात-

(क) सुलह बोर्ड का अध्यक्ष प्रत्येक सुलह सत्र की तारीख और समय का निर्धारण करेगा जहां सभी पक्षकार उपस्थित होंगे;

(ख) विवाद में शामिल प्रत्येक पक्षकार सुलह बोर्ड को एक संक्षिप्त ज्ञापन देकर उन बिन्दुओं को स्पष्ट करेगा जिनका समाधान किया जाना है;

(ग) सुलह बोर्ड विवाद में शामिल पक्षकारों को कह सकता है कि ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत की जाए जो उन मुद्दों के संबंध में अपेक्षित हो जिनका समाधान किया जाना है;

(घ) पक्षकारवृंद सामान्य तौर पर सुलह बोर्ड द्वारा अधिसूचित सुलह सत्रों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे;

परंतु विवाद में शामिल पक्षकार सुलह बोर्ड की अनुमति से किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं किन्तु किसी विधिक व्यवसायी द्वारा नहीं।

(ङ) यदि कोई पक्षकार सुलह बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी सत्र में जान-बूझकर या उपेक्षापूर्वक दो निरंतर सत्रों में उपस्थित नहीं होता तो सुलह को विफल समझा जाएगा और सुलह बोर्ड ऐसे मामलों की सूचना उपखंड प्राधिकारी को भेज देगा।

7. सुलह के समापन की समय-सीमा -(I) नियम 6 के अधीन सुलह की प्रक्रिया सुलह बोर्ड की नियुक्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर पूरी हो जाएगी।

(2) विवाद का निस्तारण होने पर तदनुसार एक समझौता ज्ञापन प्रारूप-2 में तैयार किया जाएगा और उस पर विवाद में शामिल पक्षकारों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसके बाद वह उन पर बाध्यकारी होगा।

(3) विवाद का निस्तारण न होने की स्थिति में सुलह बोर्ड एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें संक्षिप्त मुद्दों, उन मुद्दों के समाधान के लिए किए गए प्रयासों, सुलह की विफलता के कारण और कोई अन्य मामला जिसे सुलह बोर्ड उपयुक्त समझे, का उल्लेख किया जाएगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन तैयार की गई संक्षिप्त रिपोर्ट की एक-एक प्रति उपखंड प्राधिकारी और प्रत्येक पक्षकार को प्रदान की जाएगी।

8. उपखंड प्राधिकारी के माध्यम से विवाद का निस्तारण :- (1) यदि सुलह बोर्ड विवाद का निस्तारण नहीं कर पाता या संव्यवहार के पक्षकार नियम 7 के उपनियम (1) में यथा उल्लिखित तीस दिन के भीतर विवाद का निस्तारण कर पाने में असमर्थ हैं तो व्यथित पक्षकार उस तारीख से चौदह दिन के भीतर संबंधित उपखंड प्राधिकारी को विवाद का निर्णय करने हेतु आवेदन करेगा।

परंतु यह कि यदि व्यथित पक्षकार विलम्ब के लिए तर्कसंगत या न्यायोचित कारण दर्शाता है तो उपखंड प्राधिकारी उसे चौदह दिन के स्थान पर इक्कीस दिन के भीतर आवेदन दायर करने की अनुमति दे सकता है।

(2) उप नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर या जहां नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् उपखंड प्राधिकारी पाता है कि किसान करार में सुलह प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है किन्तु पक्षकार अपने विवाद धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार सुलह के द्वारा निस्तारण नहीं कर पाते हैं तो उपखंड प्राधिकारी -

(i) दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा और वे विनिर्दिष्ट तारीख को उपखंड प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में उपस्थित होंगे।

(ii) पक्षों द्वारा परिस्थितियों तथा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को सुनेगा।

परंतु यह कि उपखंड प्राधिकारी, यदि अपेक्षित हो, अपने निर्णय देने से पहले आवश्यक जांच करे।

(3) उपखंड प्राधिकारी संबंधित पक्षों को सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद दाखिल करने के दिन से 30 दिन के भीतर एक तर्कसम्मत आदेश पारित करके धारा 14 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट स्थितियों के अध्यधीन संक्षिप्त रूप में विवाद का निर्णय करेंगे।

9. अपील प्राधिकारी- संबद्ध जिले के कलेक्टर या जिले के कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट अतिरिक्त कलेक्टर अपील प्राधिकारी होंगे जो नियम (8) के उप-नियम (3) के अधीन उपखंड प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील करने का निर्णय करेंगे।

10. अपील के निस्तारण हेतु प्रक्रिया- (1) उपखंड प्राधिकारी के आदेश से असंतुष्ट पक्ष ऐसे आदेश के पारित होने के 30 दिन के भीतर फार्म-3 या ऐसी अपील के इलेक्ट्रॉनिक फाइल द्वारा अपील प्राधिकारी को अपील फाइल करा सकते हैं।

परंतु यह कि अपील प्राधिकारी ऐसी अपील को 30 दिन के स्थान पर 45 दिन के भीतर फाइल कराने की अनुमति दे सकते हैं, यदि ऐसे पक्ष विलंब के लिए तर्कसंगत या न्यायोचित कारण दर्शाते हैं।

(2) अपीलार्थी अपील फाइल करते समय निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, अर्थात् :-

i. अपीलार्थी द्वारा अपील ज्ञापन लिखित में और सम्यक रूप से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित होना चाहिए।

ii. सहायक दस्तावेजों सहित उपखंड प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अपील ज्ञापन के साथ देंगे।

iii. अपील ज्ञापन व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है।

(3) अपील प्राधिकारी संबद्ध पक्षकारों को सुनने का उचित अवसर देने के पश्चात् ऐसी अपील को फाइल करने की तारीख से 30 दिन के भीतर एक आदेश पारित करके अपील का निस्तारण करेगा।

(4) उपखंड प्राधिकारी द्वारा पारित नियम 8 के उप-नियम (3) या अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित उप-नियम (3) के अधीन आदेश सिविल कोर्ट के निर्णय को प्रभावी करेगा तथा इसी तरह लागू किया जाएगा और डिक्रीत राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेगा।

[फा. सं. 1-5/2020-एफ.डब्ल्यू. एस.-II(ई-85917)]

विवेक अग्रवाल, संयुक्त सचिव

प्रारुप 1

(नियम 4 *देखें*)

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 के अधीन उपखंड प्राधिकारी को आवेदन

उप-मंडल प्राधिकारी के समक्ष , _____

आवेदक का फोटो

_____ आवेदक

बनाम

_____ विरोधी पक्षकार

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 के प्रावधानों के अनुसार उपखंड प्राधिकारी के उपयुक्त आदेश के लिये इस आवेदन को उपयुक्त बनाता है:

1. आवेदक का नाम और पिता का नाम
2. आवेदक का पूरा पता
3. आवेदक की आयु
4. आवेदक का व्यवसाय
5. आवेदक का कृषि कार्यकलाप में शामिल होने का संक्षिप्त विवरण
6. ऐसे करारों से संबंधित पक्षों सहित संगत फार्मिंग करार का संक्षिप्त विवरण
7. फार्मिंग करार से उत्पन्न या इससे संबंधित विवाद की प्रकृति
8. क्या आवेदक या अन्य गवाह का कोई दस्तावेज या शपथ पत्र संलग्न हैं (विवरण दें)
9. अन्य कोई सूचना, जो मामले के निपटान में आवश्यक हो या सहायक हो

<u>सत्यापन</u>

सत्यापित किया जाता है कि, _____ पर _____ का यह ____ दिन, 20__, कि उपरोक्त आवेदन की सामग्री मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

(आवेदक)

प्रारुप 2

[नियम 7 (2) देखें]

समझौता ज्ञापन

1. अध्यक्ष का नाम और पदनाम

2. पहले विवादी (किसान) का नाम और पता

(i) किसान का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले सुलहकर्ता का नाम और पता
(ii) किसान का प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे सुलहकर्ता का नाम और पता

3. दूसरे विवादी (प्रयोजक) का नाम और पता

(i) प्रायोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले सुलहकर्ता का नाम और पता
(ii) प्रायोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे सुलहकर्ता का नाम और पता

4. विवाद का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 300 शब्द)

5. समझौता का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 200 शब्द)

6. हम, दोनों विवादी इसके साथ उपर्युक्त के अनुसार विवाद के समझौते पर आपसी सहमति व्यक्त करते हैं और तदनुसार हम तत्काल समझौते को लागू करने का संकल्प लेते हैं।

7. यदि विवाद का समाधान नहीं होता है तो किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश नियम, 2020 के नियम 8 के अधीन यथा अपेक्षित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करें (अधिकतम 200 शब्द)

पक्षों का हस्ताक्षर

पहले विवादी का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

(किसान)

दूसरे विवादी का हस्ताक्षर

(प्रायोजक)

गवाह (हस्ताक्षर के साथ नाम)

(1)

(2)

सुलह बोर्ड के अध्यक्ष का हस्ताक्षर

1 2 3 4

(विवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर)

प्रति: (i) अधिकारिता के उपखंड मजिस्ट्रेट

(ii) सुलह बोर्ड के अध्यक्ष

(iii) सुलह बोर्ड का प्रत्येक सदस्य ।

प्रारुप -3

[(नियम 10 (1) देखें]

अपील प्राधिकारी को अपील करने के लिए ज्ञापन का प्रारूप

1. अपीलार्थी और प्रतिवादी के व्यक्तिगत विवरण:

(i) टेलीफोन / मोबाइल नंबर के साथ अपीलार्थी का नाम और पता

(ii) टेलीफोन / मोबाइल नंबर के साथ प्रतिवादी का नाम और पता

[* प्रायोजक के मामले में ई-मेल आईडी प्रस्तुत की जाए]

2. आदेश जिनके विरुद्ध अपील फाइल की गई है और अपील का विवरण (दस्तावेजों के साथ आदेश की प्रति संलग्न की जाए):

(i) अपील के विरूद्ध आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी

(ii) जारी निर्णय / आदेश की तारीख

(iii) आदेश जारी करने की तारीख

वसूली से संबंधित आदेश जो -------- या ---------- को देय (हां / नहीं)

(iv) यदि हां, तो वसूली की राशि रूपये ---------- देय -----

(v) शास्ति से संबंधित आदेश (हां / नहीं)

(vi) यदि हाँ, तो शास्ति की राशि रुपये में

(vii) यदि और कोई हो, कृपया निर्दिष्ट करें

3. अपील का कारण और अतिरिक्त दस्तावेज:

(i) अपील का कारण (प्रत्येक कारण 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए) -

(क)

(ख)

(ग)

(ii) उपखंड प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के अलावा अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो

4. अपील का विवरण:

(i) क्या अपील दायर करने में देरी हुई है (हां / नहीं)

(ii) यदि 4 (i) हां है, तो विलंब के कारणों का उल्लेख करें (अधिकतम 100 शब्द)

(iii) अपील के लिए भुगतान की गई शुल्क का विवरण

5. किसी भी अंतरिम सहायता के उल्लेख के साथ मांगी गई सहायता अर्थात रोक आदेश (अधिकतम 100 शब्दों में)

सत्यापन का प्रपत्र

मैं, ---------- अपीलार्थी, एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि जो कुछ भी ऊपर कहा गया है मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से अध्यादेश के संगत प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों की जांच कर ली है।

स्थान: मुहर के साथ अपीलार्थी का नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2020

G.S.R. 456(E).—In exercise of the powers conferred by section 22, read with sub-sections (8) and (9) of section 14, of the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 (Ord. 11 of 2020), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Farmers' Agreement on Price Assurance and Farm Services (Dispute Resolution) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appellant" means a party who has filed an appeal before the Appellate Authority;

(b) "Appellate Authority" means the Appellate Authority referred to in rule 9;

(c) "Applicant" means a person who makes an application to the concerned Sub-divisional Authority for deciding a dispute arising from a farming agreement;

(d) "Form" means a form appended to these rules;

(e) "Opposite party" means a person against whom the applicant has claimed relief;

(f) "Ordinance" means the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 (Ord. 11 of 2020);

(g) "Respondent" means a person against whom an appeal is filed before the Appellate Authority;

(h) "Sub-Divisional Authority" means the authority referred to in rule 3;

(2) All words and expressions used herein and not defined, but defined in the Ordinance, shall have the meaning as assigned to them in the Ordinance.

3. Jurisdiction of Sub-divisional Authority.— If any dispute arises under a farming agreement in respect of any farming produce, the Sub-divisional Magistrate having jurisdiction over the land on which such produce is produced or intended to be produced, shall be the Sub-divisional Authority to decide such dispute:

Provided that where more than one Sub-divisional Magistrates have jurisdiction to decide such dispute, the Sub-divisional Magistrate having jurisdiction over the largest portion of the land on which such produce is produced or intended to be produced, shall be the Sub-divisional Authority to decide such dispute.

4. Application to Sub-divisional Authority.— (1) Any party to a farming agreement may, in case of a dispute thereunder, approach the concerned Sub-divisional Authority by filing an application in Form-1 alongwith an affidavit, a copy of farming agreement, memorandum of conciliation proceeding, if any, any document in support of the claims made therein and proof for having served a copy of such application with documents on the opposite party.

(2) The applicant may serve a copy of the application along with documents on the opposite party either in person or through a registered post or by any other mode and if it is served at the address of the opposite party given in the farming agreement, it shall be deemed to have been duly served on the opposite party:

Provided that in case where it is served through a registered post, it shall be deemed to have been served on the opposite party after lapse of seven days therefrom.

5. Conciliation board.— (1) On receipt of the application under sub-rule (1) of rule 4, if the Sub-divisional Authority finds that the farming agreement did not provide for conciliation process, it shall, within fourteen days from the date of receipt of the application, appoint a conciliation board which shall be chaired by an officer serving under the supervision and control of that authority.

(2) The Sub-Divisional Authority shall, considering the nature, gravity and monetary value involved in the dispute, simultaneously appoint members as recommended by the disputing parties, to the conciliation board, in equal numbers such that total number of appointed members to represent such parties shall be either two or four:

Provided that, if a party fails to recommend members within seven days, the Sub-Divisional Authority may appoint such members as it thinks fit, to represent such parties.

6. Procedure to be followed by conciliation board.— For conciliation, the following procedure shall be followed by the conciliation board, namely.-

(a) the chairperson of the conciliation board shall fix the date and the time of each conciliation session, where all parties have to be present;

(b) each disputing party shall provide to the conciliation board a brief memorandum setting forth the issues, which need to be resolved;

(c) the conciliation board may ask disputing parties to furnish such other information as may be required by it in connection with the issues to be resolved;

(d) the parties shall ordinarily be present personally at the conciliation sessions notified by the conciliation board:

Provided that the disputing parties may be represented by an authorised person with the permission of the conciliation board, but not by any legal practitioner;

(e) if a party fails to attend a session fixed by the conciliation board deliberately or wilfully for two consecutive times, conciliation shall be deemed to have failed and the conciliation board shall report such matter to the Sub-Divisional Authority.

7. Time limit for completion of conciliation.—(1) The process of conciliation under rule 6 shall be completed within a period of thirty days from the date of appointment of conciliation board.

(2) On settlement of the dispute, a Memorandum of Settlement shall be drawn accordingly in Form-2 and duly signed by the disputing parties and thereupon, it shall be binding upon them.

(3) In case the dispute is not settled, the conciliation board shall prepare a brief report stating the brief issues, efforts made by it to resolve those issues, the cause for failure of conciliation and any other matters that the conciliation board deems appropriate.

(4) A copy of the brief report prepared under sub-rule (3) shall be provided to the Sub-Divisional Authority and to each of the parties.

8. Dispute settlement through Sub-Divisional Authority.— (1) If the conciliation board fails to resolve the dispute or the parties to the transaction are unable to resolve the dispute within thirty days as mentioned in sub-rule (1) of rule 7, an aggrieved party may, within fourteen days therefrom, make an application to the concerned Sub-Divisional Authority to decide the dispute.

Provided that the Sub-Divisional Authority may allow the aggrieved party to file such application within twenty-one days instead of fourteen days, if such party shows reasonable or justifiable cause for the delay.

(2) On receipt of the application under sub-rule (1) or where, after receiving the application under sub-rule (1) of rule 4, the Sub-divisional Authority finds that the farming agreement had provided for conciliation process, but the parties have failed to settle their dispute through conciliation as provided under sub-section (2) of section 13, the Sub-Divisional Authority shall—

(i) issue notice to both parties and they shall attend proceedings before the Sub-Divisional Authority on the designated date;

(ii) hear both the parties by taking into account circumstances and the documentary evidence provided by the parties:

Provided that the Sub-Divisional Authority may, if required, make necessary inquires to arrive at its decision.

(3) The Sub-Divisional Authority shall decide the dispute in a summary manner subject to the conditions specified in sub-section (2) of section 14, by passing a reasoned order within thirty days from the date of its filing, after giving an opportunity of being heard to the concerned parties.

9. Appellate Authority.—The Collector of the concerned district or the Additional Collector nominated by the Collector of the district shall be the Appellate Authority to decide the appeal against the order passed by the Sub-Divisional Authority under sub-rule (3) of rule 8.

10. Procedure for disposing of appeal.— (1) A party aggrieved by the order of the Sub-Divisional Authority may, within thirty days of passing of such order, file an appeal to the Appellate Authority in Form-3 or by electronic filing of such appeal:

Provided that the appellate authority may allow such appeal to be filed within forty-five days instead of thirty days, if such party shows reasonable or justifiable cause for the delay.

(2) The appellant shall comply with the following requirements in filing appeal, namely.-

(i) the appeal memo shall be in writing and duly signed and verified by the appellant;

(ii) the certified copy of the order passed by the Sub-Divisional Authority along with supporting documents shall accompany the appeal memo;

(iii) the appeal memo may be filed personally or through an advocate.

(3) The Appellate Authority shall dispose of the appeal by passing an order within thirty days from the date of filing of such appeal, after giving the concerned parties a reasonable opportunity of being heard.

(4) The order under sub-rule (3) of rule 8 passed by the Sub-Divisional Authority or under sub-rule (3) passed in appeal by the Appellate Authority shall have the force of the decree of the civil court and shall be enforceable as such, and the decretal amount shall be recovered as arrears of land revenue.

[F.No.1-5/2020-F.W.S.-II(E-85917)]

VIVEK AGGARWAL, Jt. Secy.

FORM-1
(*See* rule 4)

Application to the Sub-divisional Authority under the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020

BEFORE THE SUB-DIVISIONAL AUTHORITY, _____

Photograph of applicant

_____ Applicant
Vs
_____ Opposite Party

Sir,
The undersigned makes this application for appropriate order of the Sub-divisional Authority as per the provisions of the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020, on the basis of the following facts and information:-

1. Name of the applicant and Father's name
2. Full address of the applicant
3. Age of the applicant
4. Occupation of the applicant
5. Brief particulars of the applicant's engagement in agricultural activities
6. Brief particulars of the relevant farming agreement, including parties to such agreement
7. Nature of dispute arising out of or relating to the farming agreement
8. Whether any documents or affidavits of applicant or any witnesses are annexed (give details)
9. Any other information that may be necessary and helpful in the disposal of the case.

Verification

Verified, at _____ this ____ day of _____, 20__, that the contents of the above application are true and correct to my knowledge and belief.

(Applicant)

FORM-2
[*See* rule 7(2)]

Memorandum of Settlement

1.Name and designation of Chairperson

2.Name and address of 1st disputant (farmer)

.

(i) Name and address of 1st conciliator representing farmer

(ii) Name and address of 2nd Conciliator representing farmer

3.Name and address of 2nd disputant (sponsor)

(i) Name and address of 1st conciliator representing sponsor

(ii) Name and address of 2nd conciliator representing sponsor

4. Brief recital of the dispute(maximum 300 words)

5. Brief of the settlement (maximum 200 words)

6. We, both disputants, herewith express our mutual consent with the settlement of dispute as aforesaid and accordingly we resolve to implement the settlement resolution forthwith.

7. If dispute is not settled, brief report as required under Rule 8 of the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance Rules, 2020 (max. 200 words)

Signature of the parties

Signature/Thumb expression of 1st disputant

(Farmer)

Signature of 2nd disputant

(Sponsor)

Witnesses (Name with Signature)
(1)

(2)

Signature of
Chairperson of Conciliation Board

1 2 3 4
(Name and signature of other members representing the disputants)

Copy to: (i)Sub-Divisional Authority of the jurisdiction.

(ii) Chairperson of the conciliation board.

(iii) Every member of the conciliation board.

FORM-3

[*See* rule 10(1)]

Format for Memorandum of Appeal to the Appellate Authority

1. Personal details of Appellant and Respondent:
 (i) Name and address of appellant with telephone/mobile number
 (ii) Name and address of respondent with telephone/mobile number
 [* *In case of Sponsor e-mail ID may also be furnished*]

2. Order against which appeal is filed with appeal details (copy of order along with documents to be attached):
 (i) Authority passing the order appealed against
 (ii) Date of decision/order passed
 (iii) Date of serving the order
 Order relates to recovery payable to --------or ----------(Yes/No)
 (iv) If Yes, amount of Recovery in Rs----------Payable to-----
 (v) Order relates to penalty(Yes/No)
 (vi) If Yes, amount of Penalty in Rs.
 (vii) Any other, please specify

3. Ground of appeal and additional documents:
 (i) Ground of appeal (each ground should not exceed 100 words) -
 (a)
 (b)
 (c)
 (ii) Additional documentary evidences, if any, other than produced during proceeding before Sub-Divisional Authority

4. Appeal filing details:
 (i) Whether there is delay in filing the appeal (Yes/No)
 (ii) If 4(i) is Yes, mention the ground for condonation of delay (maximum. 100 words)
 (iii) Details of appeal fee paid

5. Relief sought with mention of any interim relief i.e. stay order (in max. 100 words)

FORM OF VERIFICATION

I, ---------- the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief. It is also certified that I have personally gone through the relevant provisions of the Ordinance and the rules framed thereunder.

Place: Name and signature of the appellant with seal
Date:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.20 21:17:11 +05'30'